निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 132/2017

तारीख दायरा 14.09.20

उनवान

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र रामेश्वर जाति नन्दवानाबोहरा निवासी ग्राम बोरीनाकलां हाल निवा सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. मृतक सुरेश चन्द पुत्र रामेश्वर जरिये कायम मुकाम:–
   2/1. रौनक पुत्र स्व0 सुरेश चन्द
   2/2. रिया पुत्री स्व0 सुरेश चन्द
   2/3. रानू पुत्री स्व0 सुरेशचन्द
   2/4. हेमलता पत्नी स्व0 सुरेशचन्द जाति नन्दवाना बोहरा निवासीगण बोरीनाकलां हाल निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा है।

–वादी

बनाम

1. ग्राम पंचायत बोरीनाकलां हाल सरपंच महोदय ग्राम पंचायत बोरीनाकलां पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा।
2. अशोक कुमार पुत्र रामेश्वर जाति नन्दवाना बोहरा निवासी सांगोद।
3. मायाबाई पुत्री रामेश्वर पत्नी बल्लभराम जाति नन्दवाना बोहरा निवासी कन्टोमेन्ट एरिया गौरा बाजार कामठी नागपुर महाराष्ट्र।
4. उर्मिला पुत्री रामेश्वर पत्नी गिरिजा कंवर जी नन्दवाना जाति नन्दवाना बोहरा निवासी जैन कोलोनी बारां जिला बारां।

–प्रतिवादी

<u>दावा वास्ते खातेदारी घोषणा, बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:36:24 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

श्री अशोक कुमार जैन (वकील वादी)

दिनांक :– 26.02.2021

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता ...

एक तरफा सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में अपने वाद पत्र के तथ्
व प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वाद को अंतिम रूप से स्वीकार किया जकार डिक्
प्रार्थना की।

मैंने बहस वादीगण सुनी और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया
अवलोकन से मैंने पाया कि उक्त वाद में विवादित भूमि वादीगण के पिता स
सहखातेदारान के नाम से दर्ज है। चूंकि वादीगण व प्रतिवादी कम 2,3,4 के पि
स्वर्गवास हो चुका है, जिनके स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी कम 2 ता 4 स्व0 रा
पर खातेदारी घोषणा पाने के अधिकारी है। वादीगण ने अपने बयानो से प्रतिवादी
उनकी भूमि में अनाधिकृत रूप से कुछ हिस्से पर कब्जा किया हुआ होना जा
जिसकी पुष्टि हेतु वादीगण ने शपथ पत्र पर अपने बयान पत्रावली में प्रस्तुत किये
द्वारा प्रस्तुत वाद के विरूद्व प्रतिवादी कम1 की ओर से किसी भी प्रकार की साक्ष्य
उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, वे न्यायालय द्वारा सूचना भेजी जाने के उपरान्त
में उपस्थित नहीं हुए है। अतः उनके विरूद्व विधिवत रूप से एक तरफा कार्यवाही अ
गई है। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हुए मैं इस निर्णय पर पहुचती हूँ
उनके वाद पत्र को साबित करने में भली भांति सफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं
वाद स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ जो अंतिम रूप से स्वीकार किया ज
किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि–

वादीगण व प्रतिवादी कम 2 ता 4 को ग्राम बोरीनाकलां पटवार क्षेत्र
तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा न0 187 की 0.06 हैक्टर भूमि में स्व0 श्
के विधिक वारिसान होने से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी
ग्राम बोरीनाकलां तहसील सांगोद में स्थित खसरा न... 0.06 हैक्टर भूमि में
रूप से कब्जा की गई कृषि भूमि से बेदखल किये ... आदेश दिये जाते है। अ
पालना में वादीगण को प्रतिवादी कम 1 द्वारा कब्जा की ... भूमि से प्रतिवादी कम1
हटाकर रिक्त आधिपत्य दिलाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:36:24 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।